कार्यकारी परिषद की दिनांक 28 मार्च 2009 को आयोजित किए जाने के अधिसूचित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

उपस्थित सदस्यगण:

1. **प्रो0 महेंद्र पी लामा, उपकुलपति एवं अध्यक्ष**
2. **प्रो0 मधुर स्वामीनाथ, सदस्य**
3. **प्रो0 शिवराज सिंह, सदस्य**
4. **प्रो0 नावांग गोम्बु, सदस्य**
5. **प्रो0 एस ए सूर्यवंशी, सदस्य**

श्री एस. के . सरकार रजिस्ट्रार एवं सचिव

श्री एल पी बरफुंग्पा, निदेशक, उच्चतर शिक्षा सिक्किम सरकार ने श्री के टी चांक्पा, सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठक में भाग लिया॥

श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी एवं डॉक्टर सी वी सुनुवार, फेलो (शैक्षणिक), सिक्किम विश्वविद्यालय ने बैठक में भाग लिया।

ई. सी:2:01 अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक व्यवस्थित होने की घोषणा ।

प्रोफेसर महेंद्र पी लामा ,उपकुलपति ने बैठक की अध्यक्षता की तथा बैठक को व्यवस्थित बतलाया ।

ई.सी.:2:02 निधन सूचना

सदन ने गहरे दुख एवं शोक के साथ निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हाल में हुई मृत्यु की सूचना को नोट किया।

1. श्री आर वेंकटरमन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति
2. श्री वी पी सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री
3. राजकुमारी पेमा छेडुम याब्सी, स्व0 चोग्याल टाशी नामग्याल की सबसे बड़ी पुत्री
4. श्री काजी लेंदप दोर्जी खांगसेर्पा, सिक्किम राज्य का प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री
5. श्री एस डब्ल्यू तेन्जिंग, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
6. श्री टी एन तेनजिंग, पूर्व पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार

कार्यकारी परिषद ने श्री आर वेंकटरमन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

कार्यकारी परिषद ने श्री वी पी सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की ।

कार्यकारी परिषद ने राजकुमारी पेमा छेडुम याब्सी, स्व0 चोग्याल टाशी नामग्याल की सबसे बड़ी पुत्री के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की ।

कार्यकारी परिषद ने काजी लेंदप दोर्जी खांगसेर्पा, सिक्किम राज्य का प्रथम एवं पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

कार्यकारी परिषद ने एस डब्ल्यू तेन्जिंग, पूर्व मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।
कार्यकारी परिषद ने टी एन तेनजिंग, पूर्व पुलिस महानिदेशक, सिक्किम सरकार के निधन पर शोक मनाने का निर्णय लिया तथा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

ई. सी.:02:03 सिक्किम विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति के प्रति स्वागत: उप कुलपति ने सदन को सूचित किया कि भारत के राष्ट्रपति ने सिक्किम विश्वविद्यालय की विजिटर होने की क्षमता में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दिनांक 1 जुलाई 2012 की अवधि तक नियुक्त करने में प्रसन्नता व्यक्त की है । उपकुलपति ने निम्न शब्दों में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन के शानदार व्यक्तित्व का परिचय दिया:

प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन टाइम पत्रिका द्वारा 20वीं सदी के 20 सर्वोत्तम प्रभावशाली एशियाई में से एक तथा भारत के मात्र तीन में से एक माना गया है, अन्य दो महात्मा गांधी तथा रविंद्र नाथ टैगोर हैं । संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उन्हें "आर्थिक पारिस्थितिकि के जनक " के रूप में तथा जेवियर पेरेज डी क्वेलर, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने "एक जीवित किवदंती, जोकि इतिहास के आख्यानों में एक अद्वितीय विशिष्टिता के विश्व वैज्ञानिक के रूप में रहेंगे" माना है । वे 1980 में स्थापित यू एन विज्ञान परामर्शदायी के अध्यक्ष थे।

जिनका कार्य विएना कार्य योजना पर अनुवर्ती कार्रवाई करना था । उन्होंने एफ ए ओ परिषद के स्वतंत्रत सभापति तथा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है । उन्होंने विज्ञान एवं विश्व कार्य व्यापार (2002- 7) के पुग्वास सम्मेलनों के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (2005-7) के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है । शिक्षा से पादप अनुवांशिकी, प्रोफेसर स्वामीनाथन के भारतीय कृषि पुनरोत्थान में अवदानों ने उन्हें हरित क्रांति अभियान के वैज्ञानिक नेता के रुप में सर्वाधिक प्रचलित कर दिया है । धारणीय कृषि से सतत् हरित क्रांति के उनके विचारों ने उन्हें धारणीय खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक सुपरिचित विश्व नेता बना दिया है । अंतराष्ट्रीय महिला एवं विकास संगठन ने उन्हें कृषि में महिलाओं के ज्ञान, शिल्प एवं तकनीकी सशक्तिकरण की प्रोन्नति के लिए उनके महत्वपूर्ण अवदानों, साथ ही कृषि एवं ग्रामीण विकास में लैंगिक अवधारणाओं को मुख्यधारा में लाने के उनके अग्रणी भूमिका के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय अवार्ड से सुशोभित किया है। प्रोफेसर स्वामीनाथन को वर्ष 1971 में समुदाय नेतृत्व हेतु रेमन मैग्सेसे अवाई 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान अवार्ड, 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार एवं 2000 में पर्यावरण हेतु वोल्वो एवं टाइलर पुरस्कार, शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार एवं 2000 में ही, फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट चार स्वतंत्रता मेडल तथा यूनेस्को का महात्मा गांधी पुरस्कार दिया गया था।

प्रोफेसर स्वामीनाथन भारत तथा विश्व के कई वैज्ञानिक शैक्षणिक संस्थानों, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एवं यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस सहित के एक फेलो हैं।

उन्होंने 58 मानद डॉक्टरेट डिग्रियां विश्व भर के विश्वविद्यालयों से प्राप्त किए हैं । वर्तमान में वह चेन्नई (मद्रास) भारत में, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन स्थित इकोटेक्नोलॉजी में यूनेस्को चेयर के धारक तथा राष्ट्रीय किसान आयोग, भारत सरकार के पूर्व अध्यक्ष हैं । वर्तमान में वह भारत के संसद (राज्यसभा) के सदस्य हैं जिस पर उन्होंने भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में अति विशिष्ट वैज्ञानिक अवदानों की पहचान के लिए नामित किया गया ।

कार्यकारी परिषद द्वारा प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्ति का स्वागत किया गया है तथा आशा व्यक्त की गई कि उनके पाण्डित्यपूर्ण व्यक्तित्व के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन द्वारा विश्वविद्यालय सर्वथा लाभान्वित रहेगा।

ई.सी.: 2:04 उप कुलपति द्वारा प्रेक्षण

उपकुलपति ने सदन की जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रस्तुतीकरण दिया: उप कुलपति का प्रस्तुतीकरण अनुलग्नक 2.04 पर दिया गया है ।

ई.सी.: 2:05 कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

[कार्यसूची टिप्पणी:

कार्यवृत्त दिनांक 1 सितंबर 2008 के पत्र संख्या एस यू/ई सी -1/कोर/08 के तहत सभी सदस्यों को परिचालित किया गया था सदस्यों से कार्यवृत्त के ऊपर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी]

कार्यकारी परिषद ने दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा इस अभियुक्ति के साथ इसकी पुष्टि की कि चूंकि सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 30(2) के अनुसार उपकुलपति प्रथम अध्यादेशों को जारी करने के लिए अधिकृत है।

तदनुसार,वे आगे बढ़ सकते हैं । परिणामस्वरुप दिनांक 8 अगस्त 2008 की मद संख्या ई सी:01:08 के अंतर्गत दिया गया कार्यवृत्त निरस्त हो गया।

कार्य सूची मद संख्या ई.सी.:01:08 के अंतर्गत पृष्ठ 15 में अंतिम वाक्य " इन सुझावों के साथ, परिषद ने उपकुलपति को अध्यादेशों के अंतिम पाठ को एमएचआरडी को प्रेषित करने की सलाह दी " से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

ई.सी.:02:06 कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट ।

[कार्यसूची मद टिप्पणी:
अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सदन-पटल पर रखी जाएगी]

कार्यकारी परिषद की दिनांक 8 अगस्त 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पटल पर रखी गई तथा इसे सदन द्वारा स्वीकार किया गया, यथा **अनुलग्नक-2.06**

ई.सी.:02:07 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक के कार्यवृत्त को नोट करना तथा इन पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी:
कार्यवृत्त अनुलग्नक 2.7 के रूप में संलग्न है।]

कार्यकारी परिषद ने शैक्षणिक परिषद की दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा अनुलग्नक 2.07 पर यथा संलग्न इस पर विचार एवं स्वीकार किया गया ।

यद्यपि प्रथम अध्यादेशों से संबंधित विषयों पर उपकुलपति सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30(2 के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकते हैं।

ई.सी.:02:08 वित्त समिति की दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट करना तथा इस पर की गई अनुशंसाओं पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी:
कार्यवृत्त अनुलग्नक 2.08 के रूप में संलग्न है]

कार्यकारी परिषद ने वित्त समिति की दिनांक 8 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को नोट किया तथा अनुलग्नक 2.08 पर यथा प्रस्तुत पर विचार एवं स्वीकार किया।

वित्त समिति द्वारा यथास्वीकृत कार्यकारी परिषद ने -

(क) वर्ष 2008-9 एवं 2009-10 हेतु वार्षिक बजट का अनुमोदन करने

(ख) वर्ष 2007-08 हेतु वार्षिक लेखाओं का इस सुझाव के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया कि बजट एवं लेखाएं कार्यकारी परिषद की कोरम के साथ अगली बैठक में पुनः प्रस्तुत किए जाएंगे।

ई.सी.:02:09 सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के अनुसार नई/ अतिरिक्त सांविधि बनाए जाने का प्रस्ताव पर विचार करना।

[कार्यसूची टिप्पणी:
सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29 विश्वविद्यालय की सांविधि बनाने की शक्ति से संबंधित है। धारा को तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्दत किया गया है:]

उद्धहरण

29. (1) प्रथम संविधि वे हैं जिन्हें अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

(2) कार्यकारी परिषद समय-समय पर, नई अथवा अतिरिक्त सांविधि बना सकता है, अथवा संशोधन कर सकता है अथवा उपधारा (1) में संदर्भित सांविधियों को निरस्त कर सकता है:

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के अवस्था, शक्तियों एवं संगठन को तब तक बना, संशोधन अथवा निरस्त नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपना लिखित राय व्यक्त करने का अवसर ना दिया गया हो, तथा इस प्रकार व्यक्त की गई कोई राय कार्यकारी परिषद द्वारा की गई मानी जाएगी ।

(3) प्रत्येक नई सांविधि अथवा सांविधि में योजन अथवा कोई संशोधन अथवा किसी सांविधि का निरस्तीकरण के लिए विजिटर की सहमति वांछनीय होगी, जो कि अपनी सहमति दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते हैं अथवा कार्यकारी परिषद को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकते हैं।

(4)कोई नई सांविधि उनका किसी वर्तमान सांविधि को संशोधित अथवा निरस्त करते हुए कोई सांविधि कोई वैधता तब तक नहीं रखेगी, जब तक इस पर विजिटर की सहमति प्राप्त नहीं होती है ।

(5) उपरोक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, विजिटर अधिनियम लागू होने के तत्काल 3 वर्षों की अवधि के दौरान, नई अथवा अतिरिक्त संविधि बना सकते हैं अथवा उपधारा (1) में संदर्भित सांविधियों में सुधार अथवा निरस्त कर सकते हैं :

बशर्ते कि विजिटर, उपरोक्त 3 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर, ऐसी समाप्ति की तारीख से 1 वर्ष के अंदर ऐसी विस्तृत संविधि बना सकते हैं, जैसा कि आवश्यक मानते हैं तथा ऐसी विस्तृत सांविधि संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी।

(6) ऊपर कथित रूप धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी, विजिटर उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में सांविधि में प्रावधान करने का निर्देश दे सकते हैं , एवं यदि कार्यकारी परिषद ऐसे निर्देशों का इसकी प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुपालन करने में अक्षम रहता है तो विजिटर कार्यकारी परिषद द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन ना कर पाने की अपनी असमर्थता पर दिए गए कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात संविधि बन अथवा पर्याप्त रूप से संशोधित कर सकते हैं ।

उद्धहरण समाप्त

निम्नलिखित ड्राफ्ट नई/ अतिरिक्त सांविधि, कार्यकारी परिषद के विचारार्थ, सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 29(2) के अनुसार नई /अतिरिक्त सांविधियों के निर्माण के लिए तथा इन पर विजिटर का सहमति हेतु उन्हें धारा 29(3) के अनुसार प्रेषित किए जाने के लिए प्रस्तुत की गई।

(क) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धाराएं 10(9), (19) एवं (28) सी के तहत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों पर नई सांविधि

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 10 के अनुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालय के अधिकारीगण होंगे:

1. कुलपति
2. उप कुलपति
3. प्रो-वाइस चांसलर
4. स्कूलों के डीन
5. रजिस्ट्रार
6. वित्त अधिकारी
7. परीक्षा नियंत्रक
8. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं
9. ऐसे अन्य अधिकारीगण, जिन्हें सांविधि द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किया जाता है ।

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार नियुक्ति का तरीका तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य सांविधियों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे । अधिनियम की धारा 28(सी) के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों की शर्त पर सांविधियां निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी विषयों के लिए, नामत: नियुक्ति विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं उनकी परिलब्धियां प्रावधान कर सकती हैं ।

उपरोक्त की दृष्टि से सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धाराएं 10 (9), (19) एवं 28(सी) के तहत विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों पर ड्राफ्ट नई सांविधियां कार्यकारी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की है एवं अनुलग्नक 2.09 (क) के रूप में संलग्न है।

(ख) सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 28 (सी) के तहत विश्वविद्यालय के स्कूलों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं समापन पर अतिरिक्त सांविधियां

अधिनियम की धारा 28(सी) के अनुसार, इस अधिनियम के उपबंधों की शर्त पर, सांविधियां निम्नलिखित में से किसी अथवा सभी विषयों पर प्रावधान कर सकती है नामत:

स्कूलों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं समापन।

सिक्किम विश्वविद्यालय की अनुसूची में यथा प्रदत्त विश्वविद्यालय की प्रथम सांविधियों की सांविधि 15 नीचे उद्दत की जाती है:

उद्धहरण

15 (1) विश्वविद्यालय के पास अध्ययनों के ऐसे स्कूल होंगे, जैसा की सांविधियों में निर्धारित किया गया हो

(2) प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल बोर्ड होगा तथा प्रथम स्कूल बोर्ड के सदस्य गण कार्यकारी परिषद द्वारा 3 वर्षों की अवधि के लिए नामित किए जाएंगे ।
(3) किसी स्कूल बोर्ड संगठन, शक्तियों एवं कर्तव्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।
(4) किसी स्कूल बोर्ड की बैठकों का संचालन एवं ऐसी बैठकों के लिए वांछित कोरम अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
(5) प्रत्येक स्कूल में ऐसे विभाग होंगे, जैसा की अध्यादेश के द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट किया जाए।

बशर्ते की कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर, अध्ययन केंद्र स्थापित कर सकता है जिसमें विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक लगाए जा सकते हैं, जैसा कि कार्यकारी परिषद आवश्यक समझता है ।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य गण होंगे नामत:-

(i) विभाग के शिक्षकगण
(ii) विभाग में अनुसंधान संचालित कर रहे व्यक्तिगण
(iii) स्कूल का डीन
(iv) मानद प्रोफेसर्स यदि कोई विभाग से संबद्ध हो
(v) एवं ऐसे अन्य व्यक्तिगण, को जोकि अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों

उद्धहरण समाप्त

उपरोक्त के आलोक में सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 28 (सी) के तहत विश्वविद्यालय के स्कूलों, विभागों, केंद्रों हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना एवं समापन पर ड्राफ्ट अतिरिक्त संविधि कार्यकारी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत की गई एवं अनुलग्नक 2.09 (ख) के साथ रूप में संलग्न की गई।

उपरोक्त पर विधिवत विचार के पश्चात,

क) कार्यकारी परिषद -

1) निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (क) में यथा संलग्न ड्राफ्ट नई सांविधि का अनुमोदन किया जाए ।
2) आगे निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (ख) में यथा संलग्न संविधि 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5), 43(6), 43(7), 43(8), 43(9), 43(10), 43(11) एवं 43(12) का निर्माण सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के अनुसार किया जाए।
3) आगे निर्णय लेता है कि कथित सांविधि 43(1), 43(2), 43(3), 43(4), 43(5), 43(6), 43(7), 43(8), 43(9), 43(10), 43(11) एवं 43(12) सम्माननीय विजिटर को सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(3) के अनुसार उनकी सहमति लेने के लिए प्रेषित किया जाए।

(ख) कार्यकारी परिषद -

1) निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (ख) में यथा संलग्न ड्राफ्ट नई सांविधियों का अनुमोदन किया जाए ।
2) आगे निर्णय लेता है कि अनुलग्नक 2.09 (ख) मे यथा संलग्न सांविधि 15 (1) का निर्माण सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(2) के अनुसार किया जाए।
3) आगे निर्णय लेता है कि उक्त सांविधि15 (1) को सम्मानित विजिटर के प्रति सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 29(3)के अनुसार उनकी सहमति हेतु अग्रेषित किया जाए।

ई.सी.:02:10 परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एवं उनके अधिकार तथा कर्तव्यों सहित सेवा शर्तों के लिए नियमावली

[कार्यसूची टिप्पणी:
सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रकार की जाएगी तथा वे ऐसी शक्तियों का उपभोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जैसा की सांविधियों में निर्धारित है।

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में यथा प्रदत्त विश्वविद्यालय की प्रथम सांविधियों की सांविधि 8 नीचे उद्दत है :

उद्धहरण

8(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित किसी चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होंगे ।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाएगी तथा वे पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य होंगे

(3) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां एवं अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसा की कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाएंगी :

बशर्ते की परीक्षा नियंत्रक, 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त नहीं हो जाते हैं

बशर्ते कि परीक्षा नियंत्रक, उनकी 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी, कार्यालय में निरंतरता बनी रहेगी, जब तक कि उनके परवर्त्ती की नियुक्ति नहीं कर ली जाती है तथा कार्यालय में प्रवेश नहीं कर लेते हैं, अथवा समाप्ति से 1 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय रिक्त हो जाता है अथवा जब परीक्षा नियंत्रक, अस्वस्थता के कारण या अन्य किसी कारण से अपना कार्यालयी कार्य करने में अक्षम हो जाता है, कार्यालय कामकाज ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित होगा, जैसा की कुलपति इस उद्देश्य से नियुक्त करें ।

(5) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा की व्यवस्था एवं पर्यवेक्षण उस प्रकार करें, जैसा की अध्यादेश में निर्धारित हो ।

उद्धरण समाप्त

इस दृष्टि से ऊपर वर्णित सांविधि के अलावा निम्नलिखित नियमावली, परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु, कार्यकारी परिषद के विचारार्थ एवं स्वीकार्यता के लिए प्रस्तावित की जाती है ।

1. नियुक्ति :

a) अर्हता: पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित होगी, जैसा की कार्यकारी परिषद द्वारा स्वीकार किया जाए।

b) नियुक्ति की विधि: नियुक्ति की निम्नलिखित विधि, जैसा कि उपकुलपति उचित समझे, उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के लिए अनुसरण की जाए, जैसा कि उस कालखंड में लागू हो।
   1. नियमित /संविदा जन्य नियुक्ति सहित सीधी भर्ती
   2. प्रतिनियुक्ति /बाह्य सेवाएं

c) परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति एक खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी, अथवा ऐसी विधि से जो कि उपकुलपति द्वारा अनुमोदित हो ।

d) सिक्किम विश्वविद्यालय के वे शिक्षक एवं अधिकारीगण, जो इस पद के लिए नियुक्ति के योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस मामले में, इसे विश्वविद्यालय के नियमानुसार उस पद पर लियेन प्रतिधारित करने की सुविधा सहित प्रतिनियुक्ति मानी जाएगी, जिसे वे विश्वविद्यालय में नियमित आधार पर धारित करते हैं ।

e) चयन समिति का संगठन निम्नानुसार निर्धारित होगा :

उपकुलपति	:अध्यक्ष
कार्यकारी परिषद का एक सदस्य इनके द्वारा नामित	:सदस्य
दो ऐसे व्यक्तिगण जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है, तथा विषय का अथवा प्रशासन काविशेष ज्ञान रखते हैं, एवं कार्यकारी परिषद द्वारा नामित	:सदस्यगण

रजिस्ट्रार, यद्यपि समिति का सदस्य नहीं, इसके सचिव के रुप में कार्य करेंगे ।

टिप्पणी:- उपकुलपति अथवा उनकी अनुपस्थिति में प्रो-वाइस चांसलर चयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

बशर्ते की चयन समिति की बैठक कार्यकारी परिषद द्वारा नामित विशेषज्ञों के परामर्श से अथवा उनकी सुविधा की शर्त्त पर निर्धारित की जाती है ।

बशर्ते की चयन समिति की कार्यवाही तब तक वैध नहीं होगी, जब तक की वह कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों में से दो इसमें भाग नहीं लेते हैं ।

2. सेवा की शर्तें :

a) जहां ऊपर निर्धारित नियुक्ति की कोई भी विधि अपनाई जाती है, निम्नलिखित संगठनों में से किसी में नियोजित व्यक्तिगण, उनके मातृ संगठन द्वारा अनुमोदन की शर्त पर, मातृ संगठन में अपने लिएन को 5 वर्षों के संपूर्ण कार्यकाल के लिए अनुमति प्राप्त होगी:

(i) केंद्र अथवा राज्य सरकार
(ii) स्वशासित निकाय (केंद्र अथवा राज्य), विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालय (केंद्र अथवा राज्य) सहित
(iii) राष्ट्रीय महत्व के संस्थान
(iv) कोई अन्य संगठन, जैसा की कार्यकारी परिषद इस खंड में व्याप्त होने के लिए घोषित करें

लिएन दूसरे कार्यालय हेतु नियुक्ति के मामले में समाप्त योग्य होगा।

b) यदि चयनित व्यक्ति सिक्किम विश्वविद्यालय में कोई पद अथवा किसी पद पर लियेन प्रतिधारित करता है , उनकी नियुक्ति हेतु अनुमोदन में आरंभिक कार्याकाल के लिए लियेन प्रतिधारण हेतु कार्यकारी परिषद की सहमति सन्निहित होगी ।

c) परीक्षा नियंत्रक उस कैलेंडर माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होंगे, जिसमें वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करता है । यद्यपि, यदि उसकी जन्म तारीख कैलेंडर माह की पहली तारीख होती है, तो वह उस माह के पूर्व के कैलेंडर माह की अंतिम तारीख को सेवानिवृत्त होंगे। जिसमें की वे 62 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं ।

d) सांविधियों में निर्धारित कर्तव्यों के अतिरिक्त, परीक्षा नियंत्रक ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन/कार्य करेंगे, जैसा कि उपकुलपति/ कार्यकारी परिषद समय-समय पर निर्धारित करते हैं ।

e) परीक्षा नियंत्रक के ऊपर उपकुलपति एवं कार्यकारी परिषद की अनुशासनिक शक्तियों को के प्रयोग को निम्नलिखित विनियमित करेगा:

a) इस प्रश्न के तथ्य निर्धारण के उद्देश्य से की कदाचार क्या है, परीक्षा नियंत्रक गैर शिक्षण कर्मचारियों पर लागू प्रावधानों के लिए समान होंगे।

b) अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन, परीक्षा नियंत्रक के निलंबन एवं उन पर दंड लगाने की शक्तियों का प्रयोग के उद्देश्य से, उनकी समानता प्रोफेसर के पद के साथ की जाएगी।

f) परीक्षा नियंत्रक, अपने 5 वर्षों के पूर्ण कार्यकाल के दौरान अधिकतम 3 महीने की अवधि हेतु वेतन रहित अति विशेष छुट्टी चिकित्सा आधार पर अथवा अन्यथा स्वयं उपयोग करने के अधिकृत होंगे । अति विशेष छुट्टी की स्वीकृति कार्यकारी परिषद द्वारा या तो अग्रिम रुप से या कार्योत्तर मंजूरी के रूप में दी जाएगी । 5 वर्षों से कम के कार्यकाल के लिए आनुपातिक अति विशेष छुट्टी उपलब्ध होगी ।

g) यदि अभ्यर्थी किसी अन्य संगठन (सरकारी अथवा अर्धसरकारी अथवा निजी) से पेंशन प्राप्त कर रहा है, ना तो पेंशन और ना ही पेंशन के समतुल्य ग्रेच्युटी की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान योग्य परिलब्धियां से की जाएगी ।

h) सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में जहां नियुक्त किया गया अधिकारी दूसरे संगठन में किसी पद पर लियन प्रतिधारित करता है, वह अपने मातृ संगठन की सेवानिवृत्ति लाभ योजना के द्वारा शासित होते रहेंगे । विश्वविद्यालय ऐसे पेंशन अवदान अथवा सी पी एफ के प्रति प्रबंधन अवदान, जैसा कि मामला हो का भुगतान करेगा, जैसा कि मातृ संगठन की नियमावली में निर्धारित हो ।

i) जहां कार्यकारी परिषद संतुष्ट है कि इन नियमावली के किसी प्रावधान के प्रचालन में सेवा लाभों के प्रति देयता के मामले में अविवादित परिस्थितियों में अनावश्यक अवरोध पैदा करता है, अथवा मेघावी व्यक्तियों की सेवा सुनिश्चित करने के अवसर में पूर्वाग्रह पैदा करता है, तो यह संकल्प के द्वारा, कारणों को विधिवत समाविष्ट करते हुए नियमावली में उस सीमा तक छूट अथवा ढील दे सकता है, जहां तक की इक्विटी के अनुसार आवश्यक समझा जाए एवं ऐसी अनुकूल व्यवस्था के लिए किसी भी शर्त को निर्धारित किया जा सकता है।

बशर्ते कि जहां छूट भर्ती हेतु निर्धारित अर्हताओं के मामले में अथवा अन्य किन्ही कारणों से प्रदान की जाती है, जोकि चयन की प्रक्रिया के प्रति निर्णायक है, यह निश्चित रूप से निम्नलिखित पूर्व अनिवार्यताओं की पूर्ति की शर्त पर होगी :

(1) यह विश्वविद्यालय की नियमावली में छूट हेतु समर्थक प्रावधान उपलब्ध है कि तथ्य को रोजगार सूचना में प्रमुखता से उल्लेख किया जाए।

(2) चयन समिति छूट हेतु शुस्पष्ट अनुशंसा करती है।

(3) कार्यालयी अभिलेख जिनमें छूट हेतु कारण निहित है, की घोषणा स्थाई व्यवस्था द्वारा एक लोक दस्तावेज प्रति के रूप में की जाती है, जिसे चयन हेतु किसी अभ्यर्थी को रजिस्ट्रार द्वारा नेमी प्रक्रिया में किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति के बिना उपलब्ध करवाया जाएगा।

j) परीक्षा नियंत्रक छुट्टी, छुट्टी वेतन, भत्ते, भविष्य निधि एवं अन्य लाभों के लिए अधिकृत होंगे, जैसा कि इनके पक्ष में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर सिक्किम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए उन अंतर्वेशन एवं बहिष्करण को छोड़ कर निर्धारित करता है , जैसा की कार्यकारी परिषद द्वारा समय समय पर किया जाए ।

k) परीक्षा नियंत्रक ऐसे आवधिक लाभ एवं भत्ते के लिए अधिकृत होंगे, जैसा की कार्यकारी परिषद /केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाए। बशर्ते कि जहां विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा इसके विशेषाधिकार में नामांकित किसी संस्थान अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय अथवा ऐसे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा इसके विशेषाधिकार में नामांकित किसी संस्था का कोई कर्मचारी परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें किसी भविष्य निधि के प्रति अवदान करने की अनुमति प्राप्त होगी, जिसका कि वह एक सदस्य है तथा विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखा में उसी दर से अवदान करेगा, जिस दर से वह व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक के रूप में अपनी नियुक्ति के तत्काल पूर्व अवदान करता रहा था। आगे बशर्ते कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन योजना का सदस्य था, विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अवदान करेगा ।

l) विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को उनके कार्यालयी उपयोग के लिए एक छोटा वाहन उपलब्ध कराएगा ।

m) इन नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, इन प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त परीक्षा नियंत्रक ऐसी सेवा की अन्य शर्तों द्वारा शासित होगा, जैसा की कार्यकारी परिषद निर्दिष्ट करें।

उपरोक्त पर विधिवत चर्चा के बाद, कार्यकारी परिषद ने परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु तथा उनके अधिकार एवं कर्तव्य सहित सेवा की शर्तों के लिए आवश्यक संशोधन के साथ अनुलग्नक 2.10 में यथा संलग्न नियमावली को निर्धारित करने का निर्णय लिया।

ई.सी.:02:11 शिक्षण पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने दिनांक 16 फरवरी 2009 के अ.स.सं0 एफ 24-33/2009(सी यू) के अंतर्गत पत्र के माध्यम से प्रोफेसरों के 29 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 68 पद एवं सहायक प्रोफेसर के 104 पद सहित विश्वविद्यालय के लिए 11वीं योजना के अंतर्गत शिक्षण कर्मचारियों के 201 पदों की स्वीकृति की सूचना दी है । इन पदों के लिए विभागवार विवरण अनुलग्नक 2.11 में दिया गया है ।

सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की सांविधि 12(2)(i) के अनुसार, कार्यकारी परिषद को, अन्य बातों के अलावा, शिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक पदों को सृजित करने, ऐसे पदों की संख्या एवं परिलब्धियां निर्धारित करने तथा प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य परिभाषित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

बशर्ते की कार्यकारी परिषद द्वारा शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या एवं अर्हता के संबंध में तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा, जब तक की अन्यथा शैक्षणिक परिषद द्वारा विचार एवं अनुशंसाएं की गई हो।

विश्वविद्यालय अब तक अपनी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन बिना किसी नियमित शिक्षण पदों के कर रहा है। अब जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 11वी योजना के अंतर्गत 201 पदों को स्वीकृति दे दी है , कार्यकारी परिषद कृपापूर्वक अनुलग्नक 2.11 के अनुसार 201 शिक्षक पदों के सृजन को अनुमोदित करें, बशर्ते की वित्त समिति
एवं शैक्षणिक परिषद को सूचित किया जाता है एवं उनसे अनुशंसाएं प्राप्त होती है।]

उपरोक्त पर विधिवत विचार करने के बाद, कार्यकारी परिषद ने अनुलग्नक 2.11 में यथा प्रदत्त 201 शिक्षक पदों के सृजन को वित्त समिति एवं शैक्षणिक परिषद को सूचित किए जाने एवं उनसे अनुशंसा प्राप्त होने की शर्त पर अनुमोदन करने का निर्णय लिया। यद्यपि, कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2008 के कार्यसूची मद संख्या 1:04 के तहत पूर्व में दी गई स्वीकृति का कोई प्रभाव नहीं होगा, जबकि नवसृजित 201 पदों को प्रभावित किया जाता है ।

कार्यकारी परिषद ने आगे नोट किया कि विश्वविद्यालय को गुणता शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों में एकीकृत ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को लागू करने में अतिरिक्त शिक्षक पदों की आवश्यकता होगी। परिषद ने ऐसे अतिरिक्त पदों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया, जैसा कि विश्वविद्यालय के लिए वर्तमान योजना अविधि में अथवा योजना अवधि के तुरंत बाद आवश्यक होगा।

ई.सी.:02:12 गैर शिक्षक पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11वीं योजना के अंतर्गत 320 गैर शिक्षण पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इन गैर शिक्षण पदों का विवरण अनुलग्नक 2.12 में दिया गया है। यूजीसी द्वारा शीघ्र स्वीकृति की अपेक्षा की जाती है । विश्वविद्यालय की सांविधि 12(2)(iv) के अनुसार, कार्यकारी परिषद को, अन्य बातों के अलावा, प्रशासनिक, सचिवीय एवं अन्य आवश्यक पदों (अध्यक्ष सहित) को सृजित करने एवं अध्यादेशों में निर्धारित तरीकों से उन पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है ।

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद अनुलग्नक 2.12 के अनुसार 320 गैर शिक्षण पदों के सृजन का कृपापूर्वक अनुमोदन करें

उपरोक्त पर विधिवत विचार के बाद एवं यह विचार करते हुए की गैर शिक्षण पदों की स्वीकृति की सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त होगी, कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति को उन गैर शिक्षण पदों को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया , जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 11वीं योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की जाएगी ।

यद्यपि, कार्यकारी परिषद द्वारा दिनांक 8 अगस्त 2008 के कार्यसूची मद संख्या 01:05 के तहत पूर्व में दी गई स्वीकृत का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावित गैर शिक्षण पदों का सृजन किया जाएगा एवं प्रभावी किया जाएगा।

ई.सी.:02:13 पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु चयन समिति की सदस्यता के प्रति व्यक्तियों को नामित करने का प्रस्ताव पर विचार करना ।

[कार्यसूची टिप्पणी:
विश्वविद्यालय की सांविधि 18 (1) एवं 18 (2) के अनुसार, पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती के प्रति चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:-

- ***(1) उपकुलपति***
- ***(2) विजिटर द्वारा नामित***
- ***(3) दो ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है तथा उन्हें पुस्तकालय विज्ञान/ पुस्तकालय प्रशासन के विषय में विशेष ज्ञान है, एवं कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किया गया हो।***
- ***(4) कार्यकारी परिषद द्वारा नामित परंतु विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं एक व्यक्ति ।***

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर भर्ती हेतु उल्लेखित चयन समिति के प्रति संबंधित व्यक्तियों को नामित करें]

कुछेक नामों पर विचार किया गया । तत्कालिकता की दृष्टि से एवं यह विचार करते हुए की नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा एवं सहमति आवश्यक है, उपकुलपति को कार्यकारी परिषद के पक्ष में उचित व्यक्तियों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया।

ई.सी.:02:14 परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति की सदस्यता के प्रति व्यक्तियों को नामित करने के प्रस्ताव पर विचार करना

[कार्यसूची टिप्पणी:

परीक्षा नियंत्रक पर प्रस्तावित नियमावली के अनुसार, परीक्षा नियंत्रक के पद पर भर्ती हेतु चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:

- ***उपकुलपति :अध्यक्ष***
- ***कार्यकारी परिषद का एक सदस्य इनके द्वारा नामित :सदस्य***
- ***दो ऐसे व्यक्तिगण जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है, तथा विषय का अथवा प्रशासन काविशेष ज्ञान रखते हैं, एवं कार्यकारी परिषद द्वारा नामित :सदस्यगण***

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद कृपापूर्वक परीक्षा नियंत्रक के पद पर भर्ती हेतु चयन समिति के प्रति ऊपर उल्लेखित संबंधित व्यक्तियों को नामित करें]

कुछेक नामों पर चर्चा की गई । तत्कालिकता की दृष्टि से एवं यह विचार करते हुए की नामित किए जाने वाले व्यक्तियों की सुविधा एवं सहमति आवश्यक होगी, उपकुलपति को कार्यकारी परिषद के पक्ष में उचित व्यक्तियों को नामित करने के लिए प्राधिकृत किया गया।

ई.सी.:02:15 विश्व विद्यालय की सांविधियों की सांविधि 42 के अनुसार कार्यकारी परिषद के प्राधिकार का विश्वविद्यालय के आरंभिक चरणों में सुचारु रुप से संचालन हेतु किन्ही संकटकालीन एवं अनिवार्य मुद्दों पर प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव पर विचार करना ।

[कार्यसूची टिप्पणी:

सांविधि 42 के अनुसार, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी अपने अंतर्गत अथवा उनके संबंधित नियंत्रण के किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य अधिकारी अथवा प्राधिकारी कि इस शर्त पर अपनी अथवा इनकी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है कि इस प्रकार से प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग करने का समग्र उत्तरदायित्व उन्हीं अधिकारी अथवा में निहित रहेगा , जो ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करते हैं ।

उपरोक्त की दृष्टि से, कार्यकारी परिषद अपनी शक्तियों में से कुछ उपकुलपति को संकटकालीन प्रकृति के निर्दिष्ट मुद्दों पर प्रत्यायोजित करने पर विचार करें]

मुद्दे पर विधिवत विचार विमर्श के बाद इस बात पर विचार करते हुए की विश्वविद्यालय को निर्माण की अवस्था में होने के कारण शिक्षण एवं गैर शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए तत्काल कार्रवाई करना है , कार्यकारी परिषद ने उपकुलपति को पदों को विज्ञापित करने, चयन समितियों का गठन करने, विशेषज्ञों को नामित करने तथा चयन समितियों की सर्वसम्मत अनुशंसाओं को अनुमोदित करने सदृश्य भर्ती हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा इस संबंध में आगे निर्णय लेने तक के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया साथ ही उप कुलपति द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई को कार्यकारी परिषद की अगली बैठक में इनके सूचनार्थ रखने का निर्णय लिया गया ।

ई.सी.:02:16 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय

(क) कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि सिक्किम एक सीमावर्ती राज्य होने के कारण, राज्य में विदेशियों के प्रवेश हेतु औपचारिकताओं की कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य है । चूंकि विश्वविद्यालय में गुणता शिक्षा प्रदान करने में पर्याप्त संख्या में विदेशों से विद्वानों, शिक्षाविदों एवं छात्रों का प्रवेश संलग्न है, अतः कार्यकारी परिषद में भारत सरकार एवं सिक्किम सरकार से विश्वविद्यालय के राज्य एवं देश के बृहत्तर हित में विदेश से विद्वानों, शिक्षाविदों एवं छात्रों का प्रवेश सुविधागम्य बनाने में उचित कदम उठाने के लिए अनुरोध किया।

(ख) कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि यांग्यांग स्थित विश्वविद्यालय के स्थाई कैंपस हेतु भूमि सिक्किम सरकार द्वारा अभी तक हस्तांतरित नहीं किया गया है। सिक्किम विश्वविद्यालय ने सिक्किम सरकार के प्रति भूमि अधिग्रहण के लिए वांछित रू0 30 करोड़ के आकलित लागत में भारत सरकार की भागीदारी के 50% रुपये 15 करोड़ पहले ही उपलब्ध करवा दिया है । क्योंकि 11वी योजना में से 2 वर्ष अब तक बीत चुके हैं, कार्यकारी परिषद ने सिक्किम सरकार से यांग्यांग में प्रस्तावित भूमि के यथाशीघ्र हस्तानांतरण हेतु शीघ्र कदम उठाने का अनुरोध किया है । कार्यकारी परिषद ने चिंता व्यक्त की कि आवंटित धन यदि समय से नहीं व्यय किया गया तो अन्य राज्यों को अपवर्तित किया जा सकता है , जहां नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं । विश्वविद्यालय प्रशासन को भी भूमि के लागत की भारत सरकार की भागीदारी की पूर्ण राशि सिक्किम सरकार को जारी करने की सलाह दी गई , ताकि शीघ्र अधिग्रहण एवं भूमि हस्तांतरण में सुविधा हो सके ।

(ग) कार्यकारी परिषद में वित्त समिति की दिनांक 8/02/2009 को आयोजित बैठक की विश्वविद्यालय के शहरी कैंपस हेतु गंगटोक स्थित भूमि की खरीद के संबंध में उठाई गई आपत्तियों को नोट किया। कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि यह सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 3(2) के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी होगा । यद्यपि, विषय की अनिवार्यता पर एवं इस बात पर विचार करते हुए की यांग्यांग स्थित स्थाई कैंपस भूमि अभी भी हस्तांतरित किया जाना है , कार्यकारी परिषद ने गंगटोक में करीब 5 से 10 एकड़ भूमि खंड के शीघ्र प्रापन के अपने पक्ष पर , यहां तक कि विश्वविद्यालय निधि द्वारा भुगतान किए जाने की शर्त पर बल दिया तथा वित्त समिति से इस मुद्दे पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया।

कार्यकारी परिषद ने नोट किया कि 11 सदस्यों में से सिर्फ 5 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया, जिसके परिणामस्वरुप कोरम में कमी आई, जिसके लिए 7 सदस्यों की उपस्थिति वांछनीय थी। परिषद ने यह भी नोट किया

कि ऊपर चर्चित मदें एवं मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है तथा विश्वविद्यालय के लिए अत्यावश्यक हैं उपस्थित सदस्यों ने उप कुलपति को ऊपर लिए गए निर्णयों के अनुपालन एवं कार्यकारी परिषद को उनकी अगली बैठक में इसकी सूचना देने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय अधिनियम् 2006 की धारा 12(3) के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर विचार करने का सुझाव दिया गया ।

(एस.के. सरकार)
रजिस्ट्रार
सिक्किम विश्वविद्यालय एवं सचिव कार्यकारी परिषद